(67)

(174)

242
6-5-14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा मध्यप्रदेश

COURT FEE 20 Rs. भारत TWENTY RUPEES

Rs. 201 —
R-1582-II/14

बेवा शिवदेवी पत्नी बेवा राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम मरौहा तह० रामपुरबाघेलान जिला सतना मध्यप्रदेश ---------- निगराकार

बनाम

~~1-सीताराम तनय रामविशाल कुशवाहा सा० मरौहा तह० रामपुरबाघे० (मृतक)~~
जिलासतना मध्यप्रदेश ।

2. मध्यप्रदेश शासन ---------- गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्तसज्जनपुर तह. रामपुरबाघेलान के प्रकरण क्रं. 3अ 12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20. 1. 14

अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न हैं:—

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के तथ्य ये है कि गैरनिगराकार क्र. 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुरबाघेलान जिलासतना के समक्ष ग्राम मरौहा तह० रामपुरबाघेलान जिलासतना की आराजी नम्बर 197/1, व 198/1 की आराजी के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी निगराकार को सूचना नहीं दी गई बल्कि मेरे भतीजे दरबार सिंह को सूचना देकर मौके से सीमांकन करया गया । आराजी नम्बर 197/2 के पट्टेदार निगराकार है। मौके से नक्शा तर्मीम न होने की वजहसे सीमांकन मूल नम्बर का किया गया और मौके से सीमाचिन्ह निर्धारित करा दिये गये।लेकिन राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके से अपने अधिकारिता के परे गलत ढंग से सीमांकन के साथ साथ नक्शा तर्मीम भी कर दिया गया जबकि मुताबिक मौके के कब्जेदखल के आधार पर

क्रमशः 2—

माननीय
न्यायालय
SDO
आदेश
दिनांक
3.5.15
के अनुसार
संशोधन
किया
गया / [signature]

1-अ – सुदामा प्रसाद तनय स्व. श्री सीताराम कुशवाहा

1.ब = आशा पुत्री स्व. श्री सीताराम कुशवाहा

1-स = चन्द्रकली पुत्री स्व. श्री सीताराम कुशवाहा

1-द = बेला सीताराम पत्नी स्व. श्री सीताराम कुशवाहा

सभी बालिग सभी निवासी ग्राम मरौहा तह. रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

(67)

प्रकरण निग.1582 II / 2014 जिला–सतना

शिवदेवी / सीताराम

	(2)	(3)
23. 4-19-	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सज्जनपुर, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 03 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	